कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़।

पत्रांकःबे0/ 7549 /2020–21 दिनांक 03 सितम्बर,2020

प्रमाण पत्र

प्रबन्धक, अंकुर पब्लिक स्कूल भरतरी चिरकुला मोड जी0टी0 रोड अलीगढ के पत्र दिनॉकः03.09.2020 के कम में सी0बी0एस0सी0 बोर्ड द्वारा विद्यालय के नवीनीकरण सम्बन्धी आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनॉकः 08मई–2013 के बिन्दु सं0(15)पर अंकित निम्नॉकित टिप्पणी **"प्रथमतया निर्धारित प्रारुप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धित मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंधन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"** के प्रावधानानुसार विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त माना जायेगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़

Manjeet Sharma

Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh.

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़।

पत्रांकःबे0 / 1783 / 2020–21 / दिनांक 12/06/2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड, लोधा अलीगढ़ की जॉच आख्या दिनॉकः11.06.2020 के आधार पर अंकुर पब्लिक स्कूल भरतरी, चिरकुला मोड लोधा, अलीगढ़ शासनादेश सं0–89 / अ.सठ–3–2018–2041 / 2018 दिनांकः 11 जनवरी 2019 में निहित प्राविधानुसार विद्यालय मानक / शर्तो एवं आर0टी0ई0एक्ट 2009 एवं 2011 का पूर्णतः पालन कर रहा है।

डा0(लक्ष्मीकांन्त पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

Manjeet Sharma

Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

ANKUR PUBLIC SCHOOL

AFFILIATED TO BE C.B.S.E. (NEW DELHI)
CHIRKULA MOD, BHARTARI, G.T. ROAD, ALIGARH – 202001
Ph. No. 9457903744, 9634600456

Ref. No:................ Date: 27/01/2017

सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ मण्डल अलीगढ।

विषय– अंकुर पब्लिक स्कूल, भरतरी चिरकुला मोड़ जी0टी0रोड़ अलीगढ़ विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि हमारे विद्यालय अंकुर पब्लिक स्कूल, भरतरी चिरकुला मोड़ जी0टी0 रोड़ अलीगढ़ को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ के कार्यालय पत्रांकः 14511/2015–16 दिनांक 05.11.2015 के द्वारा मान्यता प्राप्त की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुये सी0बी0एस0सी0 नई दिल्ली से दसवीं की मान्यता चाही गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ को दिनांक 03.03.2016 को सूचित कर दिया गया था।

महोदय आप शिक्षा विभाग के, मण्डल में सबसे उच्चाधिकारी हैं। इस हेतु आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आप सूचित होना चाहें।

कृपया प्रकरण आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीया,
Manju Sharma
(श्रीमती मंजू शर्मा)
प्रबन्धक
अंकुर पब्लिक स्कूल,
भरतरी चिरकुला मोड,
जी0टी0 रोड अलीगढ़।

Received 27/01/17

Manju Sharma
Manager
Ankur Public School
Bhartari Chirkula Mod.
Aligarh

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

Manju Sharma
Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

ANKUR PUBLIC SCHOOL

Bhartari, Chirkula Mod, G.T. Road, Aligarh-202 001 (U.P.)
Ph.: 094579 03744

Ref. No.: 14511/2015-16

Date: 29/02/2016.

To,

B.S.A.
Zila Basic shiksha Adhikari
Aligarh. - 202001.

Sub. ⇒ Information about applying for affiliation to C.B.S.E New Delhi for secondary classes.

Dear Sir,

We are recognized and affiliated by yourself for Pre-Primary to class 8th. (English Medium) for the Period of ~~01017~~ 01.04.2015 to 31.03.2018 for three years vide affiliation number 14511/2015-16 dated 5/11/2015.

This is to inform you that we are applying for the affiliation to CBSE New Delhi for secondary classes.

Thanking You

Manju Sharma

Manju sharma.
Manager.
Ankur Public School.
Bhartari, chirkula Mod.
Aligarh. - 202001.

Manager
Ankur Public School
Bhartari Chirkula Mod.
Aligarh

Manju Sharma

Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula M
Post Bhankari, G.T. R
Aligarh

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
दिनांक
अलीगढ़

Check Affidavit

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 99AC 728969

R.P. DIXIT Advocate Tehsil Koil Aligarh Regd. No. 1602 NOTARIAL GOVT. OF INDIA

AFFIDAVIT

I Manju Sharma W/O Shri. Raj Kumar Sharma R/O 137/258, Gulshan Park Colony G.T. Road Aligarh.

नोटरी रजि० क्रमांक 358 पर दर्ज है।

Solemnly affirm and state on oath as follows :-

1. I am the manager of school name Ankur Public School, Bhartari Chirkula Mod. G.T. Road, Aligarh.
2. This School is affiliated by Zila Basic Shiksha Adhikari (BSA), Aligarh from Pre-Primary to Class 8th (English Medium).
3. The affiliation no. is 14511/2015-16 Dated 05/11/2015 and is valid from 01/04/2015 to 31/03/2018.
4. This School is applied to CBSE for seeking the affiliation for secondary class for session 2017-18 vide Reg. No. SL-02617-1718.
5. We have intimated to BSA, Aligarh (Concerned Education Department of U.P. Govt.) vide letter dated 29/02/2016 about the application made to CBSE for seeking affiliation with the board for secondary classes session 2017-18.

Above referred letter of intimation has been received by BSA on 03/03/2016 the copy is attached with its affidavit.

C.S.

Manju Sharma

Verification

The contents from serial no. 1 To 6 are true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed, so help me God.

Date :- **Deponent**

Solemnly Affirmed Before me
By ....
Identified By ....
Who having been heard the contents Hereon Admitted the same to be correct.

Manju Sharma

Manju Sharma

Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

R.P. Dixit

Ram Prakash Dixit (Advocate)
NOTARY tehsil Koil ALIGARH

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

अलीगढ

सेवा में,

अंकुर पब्लिक स्कूल,

भर्तरी चिरकुला मोड़ अलीगढ।

पत्रांक/बे0मान्यता/ 14511 /2015-16 दिनांक— 5-11-15

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय,

आपके तारीख 24.08.2015 के आवेदन और इस सबंध मे विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मै— अंकुर पब्लिक स्कूल, भर्तरी चिरकुला मोड़ अलीगढ को तारीख 01.04.2015 से तारीख 31.03.2018 तक तीन बर्ष की अवधि के लिये कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है ।

1—मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमे किसी भी रूप मे कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2—विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009(उपाबंध—1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 (उपाबंध—2)के उपबंधो का पालन करेगा ।

3—विद्यालय कक्षा 1 मे (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा मे बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा—विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।

4—पैरा—3 मे निर्दिष्ट बालको के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उवबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैक खाता रखेगा ।

5—सोसइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा ।

6—विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उवबंधो का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।

(1)—प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा मे फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा ।

(2)— किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जाएगा ।

(3)—प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी ।

(4)—प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जायेगा ।

(5)—अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्थ/विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना ।

(6)—अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा—23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है । परन्तु यह है कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नही है पांच वर्ष की अवधि क भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेगे ।

(7)—अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है,और

(8)—अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो मे नियोजित नही करेगा ।

7—विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा ।

8—विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमो को बनाये रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पाट की गई प्रसुविधाए निम्नानुसार है—

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

Manish Sharma
Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
कीडा–स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओ की संख्या
प्राध्यापक–सह कार्यालय–सहभण्डारागार के लिये कक्ष
बालक और बालिकाओ के लिये पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड–डे–मील पकाने के लिये रसोई
बाधारहित पहुंच
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता

9–विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएगी ।

10–विद्यालय भवनो या अन्य सरचनाओ या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकाश के प्रयोजनो के लिये किया जाता है

11–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

12–स्कूल को किसी व्यक्ति,व्यक्तियो के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है ।

13–विद्यालय के लेखाओ की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये ।

14–आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक है । कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करे ।

15–विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता संबधो शर्तो के सतत् अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिये जारी किये जाए ।

16–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।

17–सलंग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

(संजय कुमार शुक्ल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अलीगढ़।

Principal
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh

Manager
Ankur Public School
Bhartari, Chirkula Mod
Post Bhankari, G.T. Road
Aligarh